(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (I.A.S)
अपील : 212/2023
तारीख रजू : 21.09.2023

निर्णय दिनांक : 31.01.2025

उनवान

1. बलवीर सिंह पुत्र मामन सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम रामसिंहपुरा तहसील बहरोड़ जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड़ राज.।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बहरोड़ जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड़ राज.
2. पटवारी हल्का रामसिंहपुरा, तहसील बहरोड़, जिला कोटपूतली बहरोड़।

– रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ दिनांक 29–08–2014 के जरिये मुकदमा नम्बर 46 दिनांक 15–07–2014 में भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत खसरा नम्बर 218 रकबा 10 ऐयर, 242 रकबा 0.4 ऐयर, वाके ग्राम रामसिंहपुरा से बदखल का आदेश एकतरफा में किया गया है वो 2500/– रूपये पेन्लटी से दण्डित किया गया है जो आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत है, अपास्त फरमाये जाने योग्य है, मुराद तजबीज अदालत मातहत अपास्त व अपील मंजूर फरमाई जाने बाबत ।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

01. श्री रामपाल शर्मा एड. – वकील अपीलान्ट
02. पैरोकार सरकार

–:: निर्णय ::–

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनाक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त अनुवानी पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर अलवर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 21.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये।

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बहरोड़ के आदेश दिनांक 29.08.2014 जिसके द्वारा प्रार्थना बेदखल किए जाने एवं लगान की 2500/– रूपये पैनल्टी वसूल किए जाने एवं मौके पर खडी फसल को कब्जेराज लेकर नीलामी की कार्यवाही कर भौतिक रूप से बेदखल करने की आज्ञा से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में उल्लेखित तथ्य को जाहिर करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खसरा नम्बर 232, 241, 236, 233, 332/484 में विद्यालय भवन निर्माणाधीन है, जिसकी चार दीवारी राजकीय मा.वि. रामसिंहपुरा की बनी हुई है, जिसकी जाँच चल रही है। स्कूल की जमीन में से अवैध रूप से सरपंच महोदय नवीन रास्ता कायम करके स्कूल को नुकसान पहुंचाना चाहते है और उसका गलत आरोप अपीलान्ट के विरूद्ध यह कहकर लगाया जा रहा है कि अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 218, 242 में 10 ऐयर पर अतिक्रमण कर दिया है जबकि मौके पर ऐसा नही है। और मौके की विपरीत रिपोर्ट की गई है। आराजी खसरा नम्बर 243 जो कि अपीलान्ट की स्वयं की खातेदारी व कब्जेकाश्त की है, जिसमें बतौर काश्तकार स्वयं की जमीन में अपीलान्ट ने फसल की सुरक्षा के लिए व रिहाईश के लिए व कृषि अधिनियम के अनुसार मकान बना रखे है जिनमें उसकी पुरानी रिहाईश है। कथित नोटिस धारा 91 में कुल रकबा 14 ऐयर बताया गया है और नाजायज कब्जा ज्वार डालकर 10 ऐयर पर अतिक्रमण बताया गया है। जबकि यह सब मौके के विपरीत है और पत्रावली तथ्यों के विपरीत है। मौके की विपरीत रिपोर्ट की गई है। आराजी खसरा नम्बर 243 जो कि अपीलान्ट की स्वयं की खातेदारी व कब्जेकाश्त की है, जिसमें बतौर काश्तार स्वयं की जमीन में अपीलान्ट ने फसल की सुरक्षा के लिए व रिहाईश के लिए व कृषि अधिनियम के अनुसार मकान बना रखे है जिनमें उसकी पुरानी रिहाईश है। खसरा नम्बर 243 के तरफ पश्चिम की ओर

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

खसरा नम्बर 242 व 218 आते है, बीच में कोई रास्ता भी नहीं है अपीलान्ट ने 243 के स्वयं की बाउण्ड्री के बाहर ही टीनशेड जानवरो को खडा करने व सुरक्षा के लिए बनाया हुआ है जो किसी भी प्रकार से अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है। 232/484, 232 गांव में जाने का रास्ता दूसरा पहले से ही मौजूद है, और खसरा नम्बर 233, 23, 241, स्कूल की जमीन में से रास्ता निकालने का कोई औचित्य व आधार नहीं है जिस बाबत अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी महोदय बहरोड के यहां समस्त ग्रामवासीयान के साथ प्रार्थना पत्र उपजिलाधीश महोदय बहरोड व जिला कलक्टर महोदय को पेश की हुई है, जिसमें कलक्टर साहब से स्पष्ट लिखा है कि स्कूल को आवंटित होने वाली जमीन के बाबत सुनिश्चित करके चार दीवानी बनाई जावे जो आवंटित भूमि में कोई जमीन नही छोडी जावे। जबकि अवैध रूप से चारदीवारी को तोडकर स्कूल की जमीन में रास्ता कायम करना चाहते है, जिसकी आड़ में अपीलान्ट को बेदखल करने की कार्यवाही साजिश करके कराई गई है जबकि अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण किसी प्रकार से नहीं किया गया है। मौके पर कोई चारागाह नही है और नाही कोई रिकॉर्ड में चारागाह दर्ज है पिछले 50 वर्षों से कोई चारागाह नहीं है व आसपास काफी मकानात बने हुए है अपीलान्ट के विरूद्ध राजनैतिक प्रतिस्पर्धा के कारण गलत तौर पर नोटिस जारी किया गया है जबकि अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया। अपीलान्ट को जवाबदेही का मौका मिलता तो समस्त तथ्य अधिनस्थ के समक्ष प्रस्तुत कर देता जिनसे अपीलान्ट वंचित रहा है, जो न्यायहित में दिया जाना आवश्यक है। अंत मे वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें तथा आज्ञा अदालत मातहम दिनांक 29.08.2014 अपास्त फरमाई जाने की कृपा करें।

विभागीय पैरोकार सरकार का तर्क है कि संवत 2071 आराजी ख० नं0 218, 242 किस्म चारागाह वाके ग्राम रामसिंहपुरा पर ज्वार डालकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा पेश किये जाने पर प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी को धारा 91(3) एल०आर०एक्ट० के तहत विधिवत नोटिस जारी किया गया था। अतिक्रमी द्वारा बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने पर विधिवत कार्यवाही की गई है। पटवारी हल्का द्वारा पेश रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त अतिक्रमित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में चारागाह भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी की भूमि है, जिस पर किसी निजी व्यक्ति को कोई अधिकार प्रोद्भूत नही हो सकते है। अतः अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर अतिक्रमित भूमि आराजी ख० नं0 218, 242 किस्म चारागाह वाके ग्राम रामसिंहपुरा से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिये गये है, साथ ही भू राजस्व का 2500/– रूपये के दण्ड से दण्डित किया गया है। इस प्रकार अपीलाण्ट/अतिक्रमी के विरूद्ध अतिक्रमण करने पर नियमानुसार विधिवत एवं सही तथ्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये है, जो सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर विद्वान अधिवक्ता की बहस पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नर्मी का रूख अपनाते हुए विलम्ब की अवधि का माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाकर अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील बहस पर मनन किया, कानून की मंशा देखी गई। तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट द्वारा आराजी ख० नं0 218, 242 किस्म चारागाह वाके ग्राम रामसिंहपुरा पर ज्वार डालकर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके लिए अपीलाण्ट को अतिक्रमण/कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। जिससे राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है। अतः तहसीलदार बहरोड़ द्वारा दिनांक 29.08.2014 को पारित आदेश सही साबित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली में संलग्न किया जावें। निर्णय प्रति के साथ तहत न्यायालय की पत्रावली वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़